

प्रपत्र:-8

यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:-अटल सेवा केन्द्र, दांखा

प्रकरण सं.: 17/2018

दिनांक:- 16.5.18

क्रमांक:- लो.अदा./2018/

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी दाखा व भूअ.नि. भूका भगतसिंह की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अनुसरण में ग्राम दांखा/ऊंचिया तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत 2071-2074 में खाता संख्या में वर्तमान को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	दाखा	182	568, 964,		धूसा उर्फ मोतीराम
2	ऊंचिया	94	253, 1094, 1098, 1099, 178, 180, 181, 1406/183, 1408/183	धूसा पुत्र लिखमा	पुत्र लिखमाराम <u>शेष बदुस्तर</u>

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर, सिणधरी

दिनांक:- 16.5.18

क्रमांक:- लो.अदा./2018/

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री धूसा उर्फ मोतीराम जाति जाट निवासी ऊंचिया तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर, सिणधरी